

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 30/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 05 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए ₹375.00 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०- 80, दिनांक- 07.01.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 81, दिनांक- 07.01.2016 द्वारा ₹239.00 लाख (दो करोड़ उनचालीस लाख रु०) मात्र आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०- 2316, दिनांक- 06.08.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना शहर के सभी पार्कों को हस्तांतरित कर समेकित रूप से उसके निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव एवं प्रबंधन का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, के द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्य के संपादन हेतु पार्क विकास एवं अनुरक्षण सोसाईटी का गठन किया जाएगा। प्रारम्भ में इन कार्यों का सम्पादन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जाएगा तथा सोसाईटी गठन के पश्चात् इस कार्य का सम्पादन उक्त सोसाईटी के द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में तत्काल नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित पटना के 06 बड़े पार्क तथा 64 छोटे पार्क अर्थात् कुल 70 पार्कों का निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव एवं प्रबंधन कार्य से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक चार वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में निम्नवत राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :-

कार्य का नाम	प्राकलित राशि (लाख में)				कुल
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6
अनावर्ती व्यय	1044.275	1335.225	615.00	246.00	3240.50

2. पर्यावरण एवं वन विभाग के उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश के आलोक में पटना नगर निगम द्वारा तत्काल 05 बड़े पार्कों का हस्तांतरण, पर्यावरण एवं वन विभाग को किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा इन पाँच पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यों के लिए योजनाएँ तैयार की गई है,

✓

जिसकी प्राकृतिक राशि ₹375.00 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख रु०) मात्र है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु कुल ₹239.00 लाख (दो करोड़ उन्चालीस लाख रु०) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 80, दिनांक- 07.01.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 81, दिनांक- 07.01.2016 द्वारा ₹239.00 लाख (दो करोड़ उन्चालीस लाख रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना के ज्ञापांक- 753, दिनांक- 25.03.2017 द्वारा अवशेष राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उपरोक्त वर्णित स्थिति में पटना शहर के निम्नांकित पाँच पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यो तथा उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु देनदारी की राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 358 दिनांक- 30/3/17 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)						
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	पार्क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पटना नगर निगम	श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क	98.50	59.75	38.75	38.75
2.		शिवाजी पार्क, कंकड़बाग	105.50	61.25	44.25	44.25
3.		राजवंशी नगर पार्क (नवीन पार्क)	89.00	56.00	33.00	33.00
4.		पुलिस कॉलोनी, सेक्टर-C, पार्क	41.00	31.00	10.00	10.00
5.		पुलिस कॉलोनी, सेक्टर-D, पार्क	41.00	31.00	10.00	10.00
कुल योग			375.00	239.00	136.00	136.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र।

5. आवंटित कुल ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निहित अनुदेशों के आलोक में करते हुए अपने पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। तदुपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का हस्तांतरण पर्यावरण एवं वन विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को किया जाएगा।

6. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे

सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 7 के अनुरूप कुल आवंटित राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 के अन्तर्गत गैर योजना मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य के राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0021-बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क विपत्र कोड- N 2217011910021, विषय शीर्ष-31 05 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

(ii) आवंटित राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।

(iii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iv) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(v) उक्त योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का नाम, मद, उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

9. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।

10. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना, नगर निगम, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/नांसु-03-29/2013 (पार्ट-I) 359 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-30/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, नेहरू नगर, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आईटी0, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आप्त. 2/17

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 30/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 05 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए ₹375.00 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख रु०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०- 80, दिनांक- 07.01.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 81, दिनांक- 07.01.2016 द्वारा ₹239.00 लाख (दो करोड़ उनचालीस लाख रु०) मात्र आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०- 2316, दिनांक- 06.08.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना शहर के सभी पार्कों को हस्तांतरित कर समेकित रूप से उसके निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव एवं प्रबंधन का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, के द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्य के संपादन हेतु पार्क विकास एवं अनुरक्षण सोसाईटी का गठन किया जाएगा। प्रारम्भ में इन कार्यों का सम्पादन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जाएगा तथा सोसाईटी गठन के पश्चात् इस कार्य का सम्पादन उक्त सोसाईटी के द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में तत्काल नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित पटना के 06 बड़े पार्क तथा 64 छोटे पार्क अर्थात् कुल 70 पार्कों का निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव एवं प्रबंधन कार्य से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक चार वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में निम्नवत राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :-

कार्य का नाम	प्राकृतिक राशि (लाख में)				कुल
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6
अनावर्ती व्यय	1044.275	1335.225	615.00	246.00	3240.50

2. पर्यावरण एवं वन विभाग के उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश के आलोक में पटना नगर निगम द्वारा तत्काल 05 बड़े पार्कों का हस्तांतरण, पर्यावरण एवं वन विभाग को किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा इन पाँच पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यों के लिए योजनाएँ तैयार की गई है,

जिसकी प्राक्कलित राशि ₹375.00 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख रु०) मात्र है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु कुल ₹239.00 लाख (दो करोड़ उन्चालीस लाख रु०) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 80, दिनांक- 07.01.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 81, दिनांक- 07.01.2016 द्वारा ₹239.00 लाख (दो करोड़ उन्चालीस लाख रु०) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना के ज्ञापांक- 753, दिनांक- 25.03.2017 द्वारा अवशेष राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उपरोक्त वर्णित स्थिति में पटना शहर के निम्नांकित पाँच पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यों तथा उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु देनदारी की राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	पार्क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पटना नगर निगम	श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क	98.50	59.75	38.75	38.75
2.		शिवाजी पार्क, कंकड़बाग	105.50	61.25	44.25	44.25
3.		राजवंशी नगर पार्क (नवीन पार्क)	89.00	56.00	33.00	33.00
4.		पुलिस कॉलोनी, सेक्टर-C, पार्क	41.00	31.00	10.00	10.00
5.		पुलिस कॉलोनी, सेक्टर-D, पार्क	41.00	31.00	10.00	10.00
कुल योग			375.00	239.00	136.00	136.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

5. स्वीकृत कुल ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निहित अनुदेशों के आलोक में करते हुए अपने पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। तदुपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेकर योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का हस्तांतरण पर्यावरण एवं वन विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को किया जाएगा।

6. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे

सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 7 के अनुरूप कुल स्वीकृत राशि ₹136.00 लाख (एक करोड़ छत्तीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 के अन्तर्गत गैर योजना मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य के राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0021-बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क विपत्र कोड- N 2217011910021, विषय शीर्ष-31 05 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

(ii) स्वीकृत राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।

(iii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iv) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(v) उक्त योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का नाम, मद, उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

9. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना, नगर निगम, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।


12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०-03-29/2013 (पार्ट-I) के पृष्ठ सं०-.....3..... /टि० पर दिनांक-.....30.3.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....3..... /टि० पर दिनांक-.....30.3.2017 को प्राप्त है।

14

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।


14. इसकी सूचना प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/ना०सु०-03-29/2013 (पार्ट-1) 358 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-30/3/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, नेहरू नगर, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

आनंद . 20/17